

संख्या-369/ एक-10-2025-33 (46)/2023

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,

लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 15-04-2025

विषय: उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित बजट के वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4/रा०आ०प्र०प्रा/2025-26, दिनांक 02.04.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-5 1 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु० 550.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में रुपये 137.50 लाख तथा लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु० 300.00 लाख सहित कुल रुपये 437.50 लाख (रु० चार करोड़ सैंतिस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के वेतन एवं गैर वेतन मद हेतु वित्तीय स्वीकृति देते हुए निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(धनराशि लाख रु० में)			
क्र०	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित बजट	प्रथम किश्त हेतु आवंटित /स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	550.00	137.50

	2245-80-800-06-00-20		
2	वेतन मद 2245-80-800-06-00-31	300.00	300.00
	योग -	850.00	437.50
(रु० चार करोड़ सैंतिस लाख पचास हजार मात्र)			

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान से प्रतिबद्ध मदों का व्यय वहन करने के पश्चात ही मितव्ययी मदों में उपयोग किया जायेगा।
- (5) उक्त अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर- 369 - एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं० 42 आई में शासन को उपलब्ध कराते हुये अगली किश्त की मांग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

2 - इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 137.50 लाख (रु० एक करोड़ सैंतिस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-80-800-06-00 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) तथा रु० 300.00 लाख (रु० तीन करोड़) लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-31-सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by **भवदीय,**
Shailendra Mani Tripathi
Date: 15-04-2025 (शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव ।

संख्या-369 (1)/एक-10-2025-33(46) / 2023 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (प्रथम)/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज ।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०
- 3- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन ।
- 4- वित्त नियंत्रक, उ०प्र०, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनुसचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-15/04/2025

प्रेषण संख्या:- 369
आवंटन आदेश संख्या:- 001-369
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	13750000 13750000	30000000 30000000	43750000 43750000
	योग	वर्तमान प्रगामी	13750000 13750000	30000000 30000000	43750000 43750000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।